

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-201/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्री विश्वनाथ चौधरी—विक्रेता  
प्रति  
श्रीमती संतरा देवी—क्रेता

**आदेश**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री विश्वनाथ चौधरी, पिता-स्व० कवल चौधरी, ग्राम-ओखरगाड़ा (टोला पचफेड़ी), पोस्ट-ओखरगाड़ा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा में नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती संतरा देवी, पति-श्री आनंद चौधरी, ग्राम-औरईया (टोला लिखनीयों), पोस्ट-अटौला, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, मेराल से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेराल के पत्रांक 110/दिनांक 28.02.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त हुआ विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी ॥ के पृष्ठ सं०-183/॥ पर मांग चलता है। विक्रेता जाति के मल्लाह (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के मल्लाह (पिछड़ा) के सदस्य हैं, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं।


अंचल अधिकारी, मेराल के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री विश्वनाथ चौधरी, पिता-स्व० कवल चौधरी, ग्राम-ओखरगाड़ा (टोला पचफेड़ी), पोस्ट-ओखरगाड़ा, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को क्रेता श्रीमती संतरा देवी, पति-श्री आनंद चौधरी, ग्राम-औरईया (टोला लिखनीयों), पोस्ट-अटौला, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।


**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
औरईया (टोला लिखनीयों)	254	93	440	0.12 $\frac{1}{2}$	उ०-रामप्रसाद चौधरी वो नीज क्रेता, द०-पोखनाथ चौधरी, पू०-गुरुचरण चौधरी, प०-नीज विक्रेता,
				0.06 $\frac{1}{2}$	उ०-चैतु बिन्द, प्लॉट नं० 478, द०-नीज क्रेता वो नीज विक्रेता, पू०-विशुन चौधरी वो रामप्रसाद चौधरी, प०-नीज विक्रेता,
कुल रकबा:-				0.19	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

  
24/03/2021  
अपर समाहर्ता  
गढ़वा

  
24/03/2021  
अपर समाहर्ता  
गढ़वा